129/2023

17/7/25	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी अधिवक्ता जवाब पेश करने हेतु एक और अवसर चाह रहे है,जबकि पूर्व मे पर्याप्त अवसर दिए जा चुके है। ऐसी सूरत में विप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है। तत्पश्चात उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में खातेदारी घोषणा,बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी/वादी माफिक अनुतोष पाने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य मौका स्थिति को लेकर विवाद आगे ओर नही बढे। इस कारण स्थगन आदेश को यथावत जारी रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम द्रष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद-विवाद हो जाता है,तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत लगता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पंक्ष में बनते है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 23.5.2023 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा